न्यायालय संभागीय आयुक्त, भरतपुर

अपील संख्याः— 15/14 (RCMS No. 2014/00030) (धारा 90ख भू राजस्व अधिनियम)

शारदा सर्वोदय संस्था द्वारा अध्यक्ष दुर्गा प्रसाद पुत्र सांवलिया राम जाति बंजारा निवासी नदवई तहीलस नदबई जिला भरतपुर

.....अपीलान्ट

बनाम

1. राजस्थान सरकार द्वारा तहसीलदार नदबई तहसील नदबई जिला भरतपुर
2. अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका नदबई तहसील नदबई जिला भरतपुर

.....रैस्पो0

अपील विरूद्ध निर्णय प्राधिकृत अधिकारी उपखण्ड अधिकारी नदवई) नगर पालिका नदबई दिनांक 01.12.2009

उपस्थितिः—

1. श्री महाराज सिंह डागुर वकील अपीलान्ट
2. श्री हनुमान प्रसाद गोयल वकील रैस्पो0 सं0 2

नि र्ण य **दिनांकः 20.04.2018**

यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 90 (ख) के तहत प्राधिकृत अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी नदबई) नगर पालिका नदबई दिनांक 01.12.2009 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं कि अपीलान्ट ने नगरपालिका नदबई में आराजी ख0 नं0 770 रकवा 0.10 हैक्टेयर यानी 1000 वर्गमीटर वांके ग्राम बैलारा तहसील नदबई का समर्पणनामा प्रस्तुत कर कृषि भूमि से अकृषि भूमि में परिवर्तन के लिये प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। जिसका नोटिस अखबार में दिया गया। जिस पर उक्त ख0 नं0 के पडौसी महेश चन्द मित्तल पुत्र बाबूलाल जाति वैश्य ने प्रार्थना पत्र पेश कर आपत्ती पेश की थी कि आवेदक/अपीलान्ट ने प्रार्थी की खातेदारी भूमि के कुछ हिस्से को शामिल करते हुऐ प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। जबकि मौके पर अपीलान्ट का कम रकवा बैठता है। इस पर अधीनस्थ न्यायालय ने तहसीलदार नदबई से मौका रिपोर्ट ली गई। मुताविक मौका रिपोर्ट अपीलान्ट का रकवा 940.8 वर्गमीटर होना पाया गया। अधीनस्थ न्यायालय ने विवादित आराजी ख0 नं0 770 रकवा 0.10 हैक्टेयर वॉके ग्राम बैलारा में से 940.8 वर्गमीटर भूमि के खातेदारी अधिकार

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

राज्य सरकार के पक्ष में पुर्नग्रहित कर नगर पालिका नदबई के हक में दर्ज किये जाने के आदेश दिये। इस आदेश के विरूद्ध यह अपील पेश की गई है।

विद्वान वकील अपीलान्ट का तर्क है कि अधीनस्थ न्यायालय के आदेश से न तो भूमि का विधिवत रूपान्तरण हुआ है और न ही इस संबंध में नगरपालिका ने कोई पट्टा अपीलान्ट के हक में जारी किया है। अधिग्रहण की कार्यवाही निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार नही की गई है। नोटिस उज्रदारी जारी नही किये हैं तथा विधि अनुसार भू रूपान्तरण भी नही किया गया है। उनका तर्क है कि अपीलाधीन आदेश के अनुसार अग्रिम कोई भी कार्यवाही नही की गई है, कोई ले आउट प्लान स्वीकृत नही हुआ है और कोई पट्टा आदि भी नगर पालिका के द्वारा अपीलान्ट के हक में जारी नही किया गया है। उक्त आदेश निष्क्रिय रहा है और आरम्भ से ही शून्य है तथा निरस्त किये जाने योग्य है। राजस्व अभिलेख में अभी भी यह आराजी कृषि भूमि दर्ज है और उस पर 60/1000 हिस्सा पर अपीलान्ट को खातेदार व 940/1000 हिस्सा को सिवायचक नगरपालिका नदबई के नाम अंकित किया हुआ हैं जिससे स्पष्ट है कि भूमि का रूपान्तरण नही हुआ है। अपीलान्ट ने उक्त आराजी पर कोई निर्माण आदि नही किया है। भूमि कृषि के कार्य में ली जा रही है। उक्त आराजी ग्रामीण क्षेत्र में है। इसलिये उसके खातेदारी अधिकार पूर्ववत कायम किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। उक्त प्रकरण में 90क के प्रावधान लागू नही होते हैं। क्योंकि विवादित आराजी ग्राम बैलारा तहसील नदबई में स्थित है जो नगर पालिका नदबई के अधिकार क्षेत्र में नही है। इसलिये अधीनस्थ न्यायालय ने जो नगर पालिका पेराफेरी में स्थित होना मानकर खण्डनीय आदेश दिया है, वह विधि विरूद्ध है। अतः अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 01.12.09 निरस्त किया जावे तथा आराजी को अपीलान्ट के नाम पूर्व के अनुसार खातेदारी में दर्ज किये जाने के आदेश दिये जावे।

विद्वान वकील रैस्पो0 सं0 2 का तर्क है कि अधीनस्थ न्यायालय ने तहसीलदार से रिपोर्ट लेकर 1000 वर्गमीटर में से 940.8 वर्गमीटर पर से अपीलान्ट के खातेदारी अधिकार समाप्त कर नगर पालिका के नाम दर्ज करने के आदेश दिये थे। अपीलान्ट को धारा 90 बी की कार्यवाही के बाद नगर पालिका में प्रीमियम जमा कराकर पट्टा प्राप्त करने की कार्यवाही करनी चाहिये थी परन्तु अपीलान्ट ने जानबूझकर न तो नगर पालिका नदबई में पट्टा प्राप्त करने की कोई कार्यवाही की है और न ही प्रीमियम व अन्य चार्जेज जमा कराये हैं। अपीलान्ट के धारा 90 ख भू राजस्व अधिनियम के तहत स्वंय की भूमि समर्पण की है। उसके बाद उसके खातेदारी अधिकार समाप्त हो गये और भूमि नगरपालिका में निहित हो गई जिसे अपील के माध्यम से निरस्त नही कराया जा सकता है। अपीलान्ट की उक्त अपील मैन्टेनेविल नही है। अपीलान्ट द्वारा राजस्थान सरकार के हक में भूमि का समर्पण करने के कारण उस आदेश को चेलेन्ज करने का अधिकार नही है। उनका तर्क है कि धारा 5 कानून मियाद में देरी को माफ कराने के तथ्य अस्पष्ट वेग व असत्य पेश किये हैं। अपील 5 वर्ष बाद पेश की है जो स्पष्ट रूप से मियाद बाहर है। अपनी बहस के समर्थन में 2007 (2) आरआरटी 939, एवं 2012 (1) आरआरटी 569 पेश की। उनका तर्क है कि विवादित आराजी समर्पण के बाद राज्य सरकार में निहित हो गई है और राजस्थान सरकार की ओर से धारा 102ए भू राजस्व अधिनियम के तहत नगर पालिका नदबई को आवंटन हेतु दी गई है जो

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अब पुनः अपीलान्ट के नाम खातेदारी में नही दी जा सकती है। अपीलान्ट की अपील मैन्टेनेविल नही है। अतः खारिज की जावे।

हमने उभय पक्ष के विद्धान अभिभाषकों की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलान्ट ने आराजी ख0 नं0 770 रकवा 0.10 हैक्टेयर यानी 1000 वर्गमीटर वांके ग्राम बैलारा तहसील नदबई का समर्पणनामा नगरपालिका नदबई में प्रस्तुत कर कृषि भूमि से अकृषि भूमि में परिवर्तन के लिये प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। जिसका नोटिस अखबार में दिया गया। उक्त प्रार्थना पत्र पर महेश चन्द मित्तल पुत्र बाबूलाल जाति वैश्य ने आपत्ती पेश कर कथन किया कि अपीलान्ट ने प्रार्थी की खातेदारी भूमि के कुछ हिस्से को शामिल करते हुऐ प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। जबकि मौके पर अपीलान्ट का कम रकवा बैठता है। इस संबंध में अधीनस्थ न्यायालय ने तहसीलदार नदबई से मौका रिपोर्ट ली गई। मुताविक मौका रिपोर्ट अपीलान्ट का रकवा 940.8 वर्गमीटर होना पाया गया। अधीनस्थ न्यायालय ने विवादित आराजी ख0 नं0 770 रकवा 0.10 हैक्टेयर वॉके ग्राम बैलारा में से 940.8 वर्गमीटर भूमि के खातेदारी अधिकार राज्य सरकार के पक्ष में पुर्नग्रहित कर नगर पालिका नदबई के हक में दर्ज किये जाने के आदेश दिये।

पत्रावली के अवलोकन से जाहिर है कि अपीलान्ट ने उक्त धारा 90 बी की कार्यवाही के बाद नगर पालिका में प्रीमियम जमा कराकर पट्टा प्राप्त करने की कार्यवाही नही की है। अपीलान्ट के धारा 90ख भू राजस्व अधिनियम के तहत स्वंय ही भूमि समर्पण की है। अपीलान्ट के खातेदारी अधिकार समाप्त हो चुके हैं, उक्त आराजी नगरपालिका नदबई में निहित हो चुकी है। अपीलान्ट को इस संबंध में सक्षम न्यायालय में चाराजोही करनी चाहिये। अपीलान्ट को इस संबंध में इस न्यायालय से कोई अनुतोष नही दिया जा सकता है। अपीलान्ट ने उक्त अपील 5 वर्ष बाद पेश की है, जो स्पष्ट रूप से मियाद बाहर है। अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत 2012 (1) आरआरटी 569 में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि प्रार्थी वाद में पक्षकार था। बिलम्ब के लिये पर्याप्त कारण नहीं दिये हैं। सन्तोषप्रद ढंग से विलम्ब स्पष्ट नही किया। ऐसी स्थिति में अपील मियाद बाहर मानी जायेगी। इस प्रकरण में भी अपीलान्ट अधीनस्थ न्यायालय में पक्षकार है। उसके बाबजूद भी अपीलाधीन आदेश की जानकारी होते हुऐ भी 5 वर्ष बाद अपील पेश की है। अपीलान्ट को अपीलाधीन आदेश की जानकारी थी। इस संबंध में अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र को संतोषजनक नही माना जा सकता है। अपीलान्ट ने जानबूझ कर अपील पेश करने में लापरवाही की है। ऐसी स्थिति में अपील स्पष्ट रूप से मियाद बाहर है तथा खारिज किये जाने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट सारहीन व मियाद बाहर होने से खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 01.12.2009 यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 20.04.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुबीर कुमार)
संभागीय आयुक्त
भरतपुर

Web Copy Not official